

#### राजस्थान सरकार

### कार्यालय उप वन संरक्षक, सीकर (राजस्थान)

(सांवली रोड़, सीकर-332001, Ph. No. 01572-274094, email: dcf.sikar.forest@rajasthan.gov.in, dcfsikar@gmail.com) क्रमांक : एफ ()एफसीए/उवसंसी/2021-22/8436 दिनांक : 0% 0% 0%

मुख्य वन संरक्षक, अरावली भवन, जयपुर।

বিষয:-Diversion of 0.99 Ha. of forest land in favour of SMO/IC CHC Laxmangarh District Sikar for Construction of Trauma Center in Beer Laxmangarh, Village-Laxmangarh, District-Sikar (Raj.)
(Proposal No. FP/RJ/DISP/45355/2020)

संदर्भ:-भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर का पत्रांक 8B/Raj/09/43/2020/FC दिनांक 06.06.2022 एवं इस कार्यालय का पत्रांक 7584 दिनांक 15.07.2022

महोदय.

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि वन भूमि डायवर्जन प्रस्ताव संख्या FP/RJ/DISP/45355/2020 क्षेत्र 0.99 है0 में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर का पत्रांक 8B/Raj/09/43/2020/FC दिनांक 06.06.2022 द्वारा लगाये गये ई.डी.एस. का जवाब निम्नानुसार प्रेषित है—

which is State forest servator of					
State forest					
servator of					
21.06.2022					
(copy attached) for declaration as Protected Forest					
under Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 or					
tate Forest					
Act and the same has been sent by Nodal Officer,					
e letter no.					
all					
rotected Forest under under Section-29 of the Indian Forest Act, under the relevant Section(s) of the State					

संलग्नः-उक्तानुसार।

(वीरेन्द्र सिंह कृष्णियां) उप वन संरक्षक, सीकर

भवदीय.



क्रमांक : एफ ()एफसीए/उवसंसी/2021-22/ १५८७ - 39 प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है- दिनांक : 03/03/22

1. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी, एफसीए, राजस्थान, जयपुर।

2. चिकित्सा अधिकारी, प्रभारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, लक्ष्मणगढ़, सीकर।

3. क्षेत्रीय वन अधिकारी, लक्ष्मणगढ़ को प्रेषित कर लेख है कि जब तक प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति प्राप्त नहीं हो जाती है, तब तक कोई गैर वानिकी कार्य न हो, यह सुनिश्चित करें।

(वीरेन्द्र सिंह कृष्णियां) उप वन संरक्षक, सीकर



### राजस्थान सरकार

## कार्यालय उप वन संरक्षक, सीकर (राजस्थान)

(सावली रोड़, सीकर-332001, Ph. No. 01572-274094, email : dcf.sikar.forest@rajasthan.gov.in, dcfsikar@gmail.com) दिनांक : 15/07/12 क्रमांक : एफ ()एफसीए/उवसंसी/2021-22/7584

निमित:-

मुख्य वन संरक्षक, अरावली भवन.

जयपुर।

विषय:-Diversion of 0.99 Ha. of forest land in favour of SMO/IC CHC Laxmangarh District Sikar for Construction of Trauma Centre in Beer Laxmangarh, Village-Laxmangarh, District-Sikar (Raj.)

(Proposal No. FP/RJ/DISP/45355/2020)

संदर्भः-भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर का पत्रांक 8B/Raj/09/43/2020/FC दिनांक 06.06.2022

महोदय.

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि वन भूमि डायवर्जन प्रस्ताव संख्या FP/RJ/DISP/45355/2020 क्षेत्र 0.99 है0 में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर का पत्रांक 8B/Raj/09/43/2020/FC दिनांक 06.06.2022 द्वारा लगाये गये ई.डी.एस. का जवाब निम्नानुसार प्रेषित है-

क. सं.	ई.डी.एस.	प्रतिउत्तर
1	The non-forest land which is transferred and mutated in favour of State Forest Department for the purpose of compensatory afforestation shall be declared Reserved Forest Under Section-4 or Protected Forest under Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 or under the relevant Section(s) of the State Forest Act prior to Stage-II approval.	The proposal of non-forest land which is transferred & mutated in favour of the State forest department to declare. it as protected Forest under Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 or under the relevant Section(s) of the State Forest Act has been sent to chief conservator of forest, Jaipur vide letter no. 6692 d/t 21.06.2022 (copy attached)
2	KML file of Diversion area and CA area shall be uploaded on E-Green watch portal.	KML file of Diverted area and CA area has been uploaded on E-Green watch portal with all requisite details.

(वीरेन्द्र सिंह कृष्णियां)

भवदीय

उप वन संरक्षक

सीकर 8/0 ६

### राजस्थान सरकार कार्यालय उप वन संरक्षक, सीकर (राजस्थान)

(सांवली रोड़, सीकर-332001, Ph. No. 01572-274094, email : dcf.sikar.forest@rajasthan.gov.in, cfsikar@gmail.com) क्रमांक : एफ( )सर्वे / उवसंसी / 2021-22 / ९०३० दिनांकः ०१ | ०९ | १ | निमित:-

मुख्य वन संरक्षक, अरावली भवन, जयपुर।

विषय:— ग्राम झिराणा तहसील नीमकाथाना के ख.नं. 721 / 621 रकबा 1.00 है0 वनभूमि को रक्षित वन घोषित कराने हेतु प्रारम्भिक विज्ञप्ति के प्रस्ताव भिजवाने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि वन भूमि डायवर्जन प्रस्ताव संख्या FP/RJ/DISP/45355/2020 क्षेत्र 0.99 है0 ट्रोमा सेन्टर, लक्ष्मणगढ़ के प्रत्यावर्तन के एवज में ग्राम झिराणा तहसील— नीमकाथाना जिला सीकर 1.00 है0 गैर वन भूमि का आवंटन जिला कलक्टर, सीकर द्वारा किया गया। उक्त गैर वन भूमि को रक्षित वन भूमि घोषित कराने हेतु प्रारम्भिक विज्ञप्ति के प्रस्ताव चार प्रतियों में मय सॉफ्ट कॉपी श्रीमान् को वास्ते प्रारम्भिक नोटिफिकेशन की कार्यवाही करवाने हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न :- उक्तानुसार(प्रस्ताव चार सेट)

(भीमा राम चौधरी)

भवद्गीय

उप वन संरक्षक, सीकर १८५

क्मांक : सम / ९०२।

दिनांक : 09 | 09 | 2 |

प्रतिलिपि प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त, अरण्य भवन, जयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत् प्रेषित है।

> (भीमा राम चौंधरी) उप वन संरक्षक, सीकर १

# कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान,

अरण्य भवन, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर-302004

क्रमाकः एफ 14(330) पार्ट-III / 2011 / एफसीए / प्रमुवसं 2666

विनांक १1/7/११

शासन सचिव वन विभाग

राजस्थान, जयपुर।

विषय:-वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण (सी.ए.) हेतु आवंटित गैर वनभूमि को राजस्थान वन अधिनियम. 1953 की धारा 29 (3)के अन्तर्गत रिवत वन घोषित कराने एवं राजपत्र में प्रकाशन के क्रम में।

महोदय.

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत भारत सरकार से स्वीकृत प्रकरणों हेतु गैर वनभूमि की विज्ञिन्ति प्रकाशन हेतु प्राप्त निम्नानुसार संभागीय मुख्य वन संरक्षक ने प्रस्ताव इस कार्यालय में प्रेपित किया है.-

No.	स्तिका <b>रा</b>	डिविजन	प्रस्तावित वनखण्ड का नाम	किस प्रकरण के संबंध में	खसरा न0	क्षेत्रफल (हैक्टर)	वि.वि
Agricultura control de la cont	मुख्य वन संरक्षक जयपुर	उप वन संरक्षक, सीकर	क्स राजा -	ट्रोमा संटर लक्ष्मणगढ़ हेतु चिकित्सा विभाग हेतु वनभूमि प्रत्यावर्तन 1.00 है0	721 / 621	1.00	मु.व.सं. जयपुर का पत्रांक 3869 / 23.6.2022

अधिरोपित शर्तोनुसार ही उक्त आवंटित गैर वनभूमि को रक्षित वनभूगि घोषित कराया जाकर अधिसूचना की विज्ञप्ति का प्रकाशन राजपत्र में कराया जाना है। अतः संभागीय मुख्य वन संरक्षक सं प्राप्त प्रस्ताव को बाद परीक्षण तीन प्रतियों में राजस्थान वन अधिनियम, 1953 की धारा 29(3) के अन्तर्गत रक्षित वन घोषित कराने हेतु संलग्न प्रेषित है। कृपया राजपत्र में प्रकाशन एवं अनुमोदन उपरांत एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराने कष्ट करावें।

सलान-उवतानुसार।

भवदीय

( डॉ गविन्द सागर भारद्वाज ) अति. प्रसान मुख्य वन संरक्षक, गेटेनुग्रम एवं नोडल अधिकारी एफसीए 🕽 भ्रिजस्थान, जयपुर।

व नाक एका 14(330) पार्ट-III/2011/एफसीए/प्रमुक्स २८६२ - ८८ इति जिप-गिम्माफित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हतु प्रमित है । दिनाक 21/7/22

। मृद्य वन सरसक जयपुर।

उन वन संस्थक, सीकर।